## न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 154/2018 दायरा दिनांक : 26.11.2018

उनवान

मांगीलाल वल्द भंवरलाल, जाति गूर्जर, निवासी नाला, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– बापू लाल वल्द भंवरलाल, जाति गूर्जर, निवासी नाला, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील असनावर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक अपीलांट की ओर से
सुश्री भगवती एवं श्री बच्चू लाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 25.07.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, असनावर के प्रकरण संख्या – 75/दावा/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो (पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 188, व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम नाला, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ खसरा नम्बर 71 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा स्थित है, जिसके सम्बन्ध में विवाद है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट को तलब किया गया एवं रेस्पोडेंट नम्बर 1 की ओर से इन्कारी जवाबदावा पेश किया गया जिसके बाद बिना तनकीयात कायम किये एवं बिना साक्ष्य वादी/अपीलांट दर्ज किये वादी का दावा दिनांक 18.07.2018 को खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है एवं बिना शपथ पत्र साक्ष्य लिये किया गया है, जो निरस्तनीय है । प्रतिवादीगण की ओर से इन्कारी जवाबदावा पेश किया गया तो अधीनस्थ न्यायालय को विवाद्यक निर्मित करना चाहिए एवं उन पर फरीकेन की साक्ष्य लेना चाहिए था, जो न कर साक्ष्य न लेकर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है, जो मनमाना है, परवर्स है, केप्रिसियस है एवं अपास्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व अभियान न्याय आपके द्वार में यह निर्णय पिछली तारीख में पारित किया है, जिस बाबत अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 18.07.2018 अपास्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहन अध्ययन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, सबूतों का भली भांति अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है । जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 18.07.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/7/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
**स्टेनो–(पी. ए.)**
**भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा।**

# डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
**(Civil Procedure Code, Appendix G'9)**

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
**डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)**

मांगीलाल वल्द भंवरलाल, जाति गूर्जर, निवासी नाला, तहसील असनावर, जिला झालावाड

..........**अपीलान्ट्स**

**बनाम**

1– बापू लाल वल्द भंवरलाल, जाति गूर्जर, निवासी नाला, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील असनावर, जिला झालावाड़

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. **154/2018** एवं
मु.द.नं0 **75/दावा/2014**

नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, असनावर**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **18.07.2018**

**दावा बाबत**

माह अपील व तारीख **01** माह **07** सन् **2022**

हाजरी **श्री तंवर सिंह झाला** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **सुश्री भगवती एवं श्री बच्चू लाल** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेन्ट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

**अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक** 18.07.2018 **यथावत रखा जाता है ।**

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **25** माह **07** सन् **2022** को जारी किया गया ।

(मोहर: भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★)

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)